दिनाक 16.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 16/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना रसूलाबाद

- **25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.06.2022 को थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–रफीक अली 2–हमसर अली 3–अजमत अली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रफीक अली के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त अजमत अली के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त हमसर अली के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 331/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रफीक अली निवासी भीखदेव कहिंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

2–हमसर अली निवासी भीखदेव कहिंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

3–अजमत अली निवासी भीखदेव कहिंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

जनपद भदोही/थाना औराई

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटा गया ट्रक, ड्राइविंग लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एटीएम कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 15.06.2022 की रात्रि थाना औराई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाबूसराय वाराणसी बार्डर के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—अखिलेश उर्फ बाबा उर्फ गोलू 2—रिषभ उर्फ डीएम 3—राजा उर्फ अभिनव 4—श्याममूरत उर्फ ढेबई 5—राहुल 6—महादेव उर्फ रामप्यारे को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटा गया ट्रक, ड्राइविंग लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.05.2022 को थाना औराई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना औराई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रक आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना औराई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अखिलेश उर्फ बाबा उर्फ गोलू निवासी डिगुंरपुर नहवई थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

2—रिषभ उर्फ डीएम निवासी बामपुर थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

3—राजा उर्फ अभिनव निवासी खैरा बसेवरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

4—श्याममूरत उर्फ ढेबई निवासी चेहरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

5—राहुल निवासी चेहरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

6—महादेव उर्फ रामप्यारे निवासी बासदेव कालोनी कंदवा थाना चितईपुर वाराणसी, स्थाई पता कोटी गोसाईपुर रामपुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—लूटा गया ट्रक, ड्राइविंग लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एटीएम कार्ड।

2—घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल फोन आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 20 हजार रूपये नगद**
- **एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 15.06.2022 को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोढ़ी खनन बैरियर टोल प्लाजा बोर्ड के पास से 02 अभियुक्तों 1—विकास 2—जद्दू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 20 हजार रूपये नगद, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विकास शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सोनभद्र के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 06.06.2022 को थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—विकास निवासी खड़िया थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र।

2—जद्दू निवासी घसिया बस्ती थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 20 हजार रूपये नगद।

2—एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।

<u>जनपद गोरखपुर/थाना बडहलगंज</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.06.2022 को थाना बडहलगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेमरापुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दुर्गेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गगहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बडहलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दुर्गेश निवासी भैसवली थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15/16.06.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मामन रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को

रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नासिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, गाजियाबाद व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, रंगदारी, आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद बुलन्दशहर के थाना कोतवाली नगर व थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यावाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नासिर निवासी ग्राम चावली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर, हालपता—बीसा कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद गाजियाबाद/थाना मसूरी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट)बरामद**

दिनांक 16.06.2022 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मसूरी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त हसनैन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर पलेट)बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या के प्रयास आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मसूरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यावाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—हसनैन निवासी पिपलैहडा थाना धौलाना जनपद हापुड।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर पलेट)

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **चोरी के 15 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 16.06.2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 शातिर अभियुक्तों 1–सनी 2–जयशंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, चोरी के 15 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सनी के विरूद्ध जनपद खीरी, सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त जयशंकर के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिल, मोबाइल फोन चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सनी निवासी भगवन्तपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर।

2–जयशंकर निवासी न्योदियां थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2–चोरी के 15 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 06 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर अधिनियम) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट–05 जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रईस उर्फ रहीसा को 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————